रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 1972/चैत्र 31, 1894
No. 121] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 1972/CHAITRA 31, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 20th April 1972

G.S.R. 251(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 4 of the Finance Act, 1971 (14 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw cashewnuts from the whole of the regulatory duty of customs leviable thereon under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 38-Customs, dated the 17th March, 1972, subject to the following conditions, namely:—

(i) that the importer makes a declaration at the time of import that the goods are being imported for processing and re-export;

(ii) that the goods are re-exported in the form of cashew kernels within six months of the date of importation or within such extended period not exceeding one year, as the Collector of Customs may allow; and

(iii) that the weight of cashew kernels exported is not less than 25 per cent of the weight of cashewnuts imported, or where it is proved to the satisfaction of the Collector of Customs, concerned that the kernels were obtained only from imported raw cashewnuts, such lower

percentage of the weight of the cashewnuts imported, as the Collector of Customs may in each case determine:

Provided that the importer executes a bond with such surety or sufficient security as the Collector of Customs approves, undertaking:—

(a) to re-export the goods after processing within six months of the date of importation or within such extended period not exceeding one year, as the Collector of Customs may allow;

(b) to produce the cashew kernels before the Collector of Customs prior to re-export; and

(c) to pay the duty if the re-export does not take place within the stipulated period.

[No. 60/F. No. 711/71-TR(CUS).]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1972,

सा०का०नि० 251(अ).—वित्त अधिनियम, 1971 (1971 का 14) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है कच्चे काजू को, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 17 मार्च, 1972 की अधिसूचना सं० 38–सीमा-शुल्क के अन्तर्गत उस पर उद्ग्रहणीय विनियमन-संबंधी समस्त सीमा-शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एतद्द्वारा छूट देती है, अर्थात् :—

(i) कि आयातकर्ता आयात करते समय यह घोषणा करे कि माल का आयात प्रसंस्करण और पुनः निर्यात करने के लिए किया जा रहा है ;

(ii) कि माल का पुनः निर्यात आयात करने की तारीख से छह मास के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो एक वर्ष से अधिक न होगी, जिसे सीमा-कलक्टर अनुज्ञात करे, काजू की गिरी के रूप में किया जाना है; और

(iii) कि निर्यातित काजू की गिरी का भार आयातित काजू के भार के 25 प्रतिशत से कम नहीं है, या जहां सम्पृक्त सीमा-शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो गया है कि गिरी केवल आयातित कच्चे काजू से ही प्राप्त की गई थी वहां आयातित काजू के भार की ऐसी निम्नतर प्रतिशतता जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर प्रत्येक मामले में अवधारित करे :

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता ऐसे प्रतिभू या पर्याप्त प्रतिभूति के साथ जिसे सीमाशुल्क कलक्टर अनुमोदित करे यह वचनबन्ध करते हुए, बन्धपत्र निष्पादित करे कि—

(क) वह माल का पुनः निर्यात आयात करने की तारीख से छह मास के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो एक वर्ष से अधिक न होगी जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रसंस्करण करने के पश्चात् करेगा;

(ख) वह काजू की गिरी को पुनः निर्यात करने के पहले सीमा-शुल्क कलक्टर के समक्ष पेश करेगा; और

(ग) यदि पुनः निर्यात नियत अवधि के भीतर नहीं किया गया तो वह शुल्क का संदाय करेगा।

[सं० 60/फा०सं० 711/71-टी० आर० (सीमा०)]

G.S.R. 252(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and of all other powers hereunto enabling, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 43-Customs, dated the 1st March, 1966.

[No. 61/F. No. 155/72-TR(CUS).]

B. N. SHARMA, Under Secy.

सा०का०नि० 252 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 मार्च, 1966 की अधिसूचना सं० 43-सीमा-शुल्क को एतद्द्वारा विखण्डित करती है।

[सं० 61/फा० सं० 155/72-टी० आर० (सीमा०)]

बी० एन० शर्मा, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972